न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 94/2017 ::

अपीलांटगण :—

जयन्तिलाल पुत्र पूनमचंद ब्राहम्ण निवासी बामनेरा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर
2. धापूबाई बेवा भीमाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) (लाऔलाद फौत)
3. स्व. मीठालाल पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर के वैधिक वारिशान

(अ) भीकी बेवा स्व. मीठालाल

(ब) त्रम्बक लाल पुत्र स्व. मीठालाल

(स) भरत कुमार पुत्र स्व. मीठालाल

(द) महेश कुमार पुत्र स्व. मीठालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर

(य) सविता पुत्री स्व. मीठालाल पत्नी दामोदर जाति ब्राहम्ण निवासी पोसालिया तहसोल शिवगंज जिला सिरोही (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 21-1-19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 29.04.1995 मौजा बामनेरा पटवार हल्का बामनेरा जो अति. तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण श्री दीपाराम परमार एवं श्री रामलाल भाटी द्वारा No Instruction Plead पूर्व में कर दिया जाने से बहस अपीलाण्ट सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि अति. तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम बामनेरा पटवार हल्का बामनेरा तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 84 स्वीकृति आदेश दिनांक 29.04.1995 जो अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिए, रेस्पोडेण्ट संख्या 3 मीठालाल के नाम उसकी मृत्यु के तीन वर्ष पश्चात एक शुन्य वसीयत के आधार पर दर्ज कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट देवी, स्व. धापूबाई बेवा भीमाशंकर के जेठ की पुत्री है, जो उसकी मृत्यु पश्चात द्वितीय श्रैणी की उतराधिकारी है। धापूबाई द्वारा अपनी जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 16.10.1976 को मीठालाल पुत्र गौरीशंकर ब्राहम्ण निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर के पक्ष में सम्पादित की गई। धापूबाई की मृत्यु दिनांक 12.02.1994 को हो गई। इससे पूर्व मीठालाल पुत्र गौरीशंकर निवासी बामनेरा जिसके हक में वसीयत निस्पादित की गई थी। उसकी मृत्यु दिनांक दिनांक 14.11.1992 को हो गई।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

मातहत अदालत द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 29.04.1995 को मृत मीठालाल के नाम उक्त वसीयत के आधार पर भरकर स्वीकृत कर दिया गया। प्रथम दृष्टया किसी मृत व्यक्ति के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। वसीयतकर्ता धापूबाई की मृत्यु दिनांक 12.02.1994 को तथा मीठालाल वसीयतग्रहिता की मृत्यु 14.11.1992 को वसीयतकर्ता से पूर्व ही हो जाने से वसीयत एक शुन्य दस्तावेज हो गया उक्त वसीयत के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण Null & Void होने से निरस्त योग्य है। भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 7 के नियम 112 के अनुसार " जहां किसी विशेष वर्णन वाले किसी व्यक्ति को वसीयत की गई है, और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है, जो उस वर्णन के अनुरूप है, वहां वसीयत शुन्य है। " इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जावे। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु निवेदन किया कि अपीलाण्ट ग्राम पिपला (मध्यप्रदेश) में रहती है, जहां जरिये फोन उसके रिश्तेदार जयन्तिलाल द्वारा इतला करने पर उन्हें प्रथम बार जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 84 के संबंध में जानकारी हुई एवं आवेदन संख्या 119 दिनांक 12.06.2014 को तहसील सुमेरपुर में प्रस्तुत कर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 16.06.2014 को प्राप्त की एवं 18.06.2014 को पाली आकर अधिवक्ता कर अपील 20.06.2014 को न्यायालय में पेश की गई। उक्त अपील अपीलाण्ट के हक अधिकारों से संबंधित होने से तथा अपीलाण्ट एक विधवा, अनपढ व ग्रामीण महिला होने से यह अपील जानकारी होते ही प्रस्तुत कर दी है। इसलिए जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करावे। जिससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकार प्राप्त कर सके।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार सुमेरपुर से प्राप्त मूल नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 29.04.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रश्नगत अपील में अपीलाण्ट के हक अधिकारों का प्रश्न होने से जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। जैर अपील नामान्तरकरण मु. धापूबाई की मृत्यु हो जाने के उपरान्त मीठालाल पुत्र गौरीशंकर के नाम धापूबाई द्वारा की गई वसीयत दिनांक 16.10.1976 के आधार पर भरा गया है। जो एक मृत व्यक्ति के नाम का भरा जाने से विधि सम्मत नहीं है। वसीयतकर्ता धापूबाई का देहान्त 12.02.1994 को मुम्बई में हो गया जो पत्रावली संलग्न प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति से स्पष्ट है तथा वसीयतग्रहिता मीठालाल का देहान्त दिनांक 14.11.1992 को मुम्बई में होना भी पत्रावली संलग्न उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रस्तुत छायाप्रति से स्पष्ट है। इस प्रकार वसीयतग्रहिता की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व में ही हो जाने से वसीयत एक शुन्य दस्तावेज हो जाने के कारण जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 84 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 7 के नियम 112 के अनुसार " जहां किसी विशेष वर्णन वाले किसी व्यक्ति को वसीयत की गई है, और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है, जो उस वर्णन के अनुरूप है, वहां वसीयत शुन्य है। " तथा शुन्य वसीयत के आधार पर इन्द्राज एवं पारित किया गया नामान्तरकरण भी शुन्य होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अति. तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत मौजा बामनेरा पटवार हल्का बामनेरा तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 84 स्वीकृति आदेश दिनांक 29.04.1995 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुमेरपुर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. धापूबाई बेवा भीमांशकर के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की बाद जांच एवं सुनवाई के विधिसम्मत तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही करें। तहसीलदार सुमेरपुर को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 29.04.1995 पालनार्थ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21-1-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)